



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2020

श्रावण 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या 1622/33-2-2020-122जी-2013 टी0सी0-III

लखनऊ, 13 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प0आ0-181

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 44 के साथ पठित धारा 237 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग)
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 1993 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, शीर्षक, उपशीर्षक और संक्षिप्त नाम सहित शब्द "क्षेत्र समिति" तथा "जिला परिषद" जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द क्रमशः "क्षेत्र पंचायत" तथा "जिला पंचायत" रख दिये जायेंगे।

नियम 8 का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम 8 में, नीचे स्तम्भ 1 में, दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(1) संवर्ग में किसी पद पर भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाएगी :-

(क) सचिव, उ०प्र० सरकार, अध्यक्ष पंचायती राज विभाग;

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य कार्मिक विभाग या उसका नामांकित, जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून नहीं होगा;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य समाज कल्याण विभाग या उसका नामांकित, जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून नहीं होगा;

(घ) निदेशक, पंचायती राज, सदस्य उत्तर प्रदेश या उसका नामांकित, जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून नहीं होगा;

(ङ) संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग, जो विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) संवर्ग में पद पर भर्ती, पाँच वर्ष की पात्र संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाएगी :-

(क) यथास्थिति अपर मुख्य अध्यक्ष सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज विभाग;

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य कार्मिक विभाग या उसका नामनिर्देशित, जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से अन्यून न हो;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य समाज कल्याण विभाग या उसका नामनिर्देशित, जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से अन्यून न हो;

(घ) निदेशक, पंचायती राज, सदस्य उत्तर प्रदेश या उसका नामनिर्देशित, जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से अन्यून न हो;

(ङ) संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज विभाग, जो विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट हो।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1622/XXXIII-2-2020-122G-2013 T.C.-III, dated August 13, 2020 :

No. 1622/XXXIII-2-2020-122G-2013 T.C.-III

Dated Lucknow, August 13, 2020

In exercise of the powers under section 237 read with section 44 of the Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishad Adhinyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Zila Parishads (Central Transferable Cadre of Apar Mukhya Adhikari) Rules, 1993.

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (CENTRAL TRANSFERABLE CADRE OF APAR MUKHYA ADHIKARI) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2020

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Central Transferable Cadre of Apar Mukhya Adhikari) (Second Amendment) Rules, 2020. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Zila Parishads (Central Transferable Cadre of Apar Mukhya Adhikari) Rules, 1993 hereinafter referred to as the said rules *for* the words "Kshetra Samitis" and "Zila Parishads" wherever occur including heading, sub-heading and the short title the word "Kshetra Panchayat" and "Zila Panchayat" shall respectively be *substituted*. General amendment

3. In the said rules, in rule 8, *for* sub-rule (1) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 8

COLUMN-I

Existing sub-rule

(1) Recruitment to a post in the cadre shall be made by promotion on basis of seniority subject to rejection of unfit through a Selection constituted as follows :-

(a) Secretary to the Chairman Government in the Panchayat Raj Department;

(b) Secretary to the Member Government in the Personal Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

(1) Recruitment to post after completion of five years eligible satisfactory service in the cadre shall be made by promotion on basis of seniority subject to rejection of unfit through a Selection Committee constituted as follows :-

(a) Additional Chief Chairman Secretary, Principal Secretary, Secretary, as the case may be, to the Government in the Panchayat Raj Department;

(b) Secretary to the Member Government in the Personal Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;

| <u>COLUMN-I</u> | <u>COLUMN-II</u> |
|---|---|
| <i>Existing sub-rule</i> | <i>Sub-rule as hereby substituted</i> |
| (c) Secretary to the Member Government in the Social Welfare Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary; | (c) Secretary to the Member Government in the Social Welfare Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary; |
| (d) Director, Panchayati Member Raj, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Joint Director; | (d) Director, Panchayati Member Raj, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Joint Director; |
| (e) Joint Secretary to the Member Government in the Panchayati Raj Department nominated by its Secretary. | (e) Joint Secretary to the Member Government in the Panchayati Raj Department nominated by its Secretary. |

By order,
 MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.